संख्या–671 / पांच–5–2021

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज एवं कानपुर नगर।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांकः 09 अप्रैल, 2021

विषयः–कोविड–19 के बढ़ते हुए संक्रमण की श्रृंखला को तोड़कर प्रसार रोकने हेतु निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 का संक्रमण पुनः तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि कोविड–19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जाए जिससे कोविड–19 के प्रसार को रोका जा सके।

2– तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आपके जनपद के अधीन सरकारी / निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत की क्षमता से कार्य लिया जाए। शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से ही कार्यालय का कार्य करने की व्यवस्था की जाए। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष आवश्यकतानुसार चक्रानुक्रम (रोटेशन) में कार्य करने के लिए निर्देशित कर सकेंगे। यह व्यवस्था दिनांक 30.04.2021 तक के लिए रहेगी।

3– यह आदेश उ0प्र0 कोविड महामारी विनियमावली–2020 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्गत किया जा रहा है। कृपया उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
9.4.21
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–671(1) / पॉच–5–2021, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज एवं कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं / परिवार कल्याण / चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
7. मण्डलीय अपर निदेशक, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज एवं कानपुर नगर, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज एवं कानपुर नगर।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव।

go pankaj com-3